पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1611

दिनांक:-08-07-2025

जोन मध्य/ थाना आशियाना

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना आशियाना, लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 323/325/804/354 (क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना आशियाना लखनऊ से सम्बन्धित 05 आरोपियों को आरोपसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को अधिकतम 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 12,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत (जनपद लखनऊ में भारतीय दण्ड संहिता-1860 के अन्तर्गत सुनाये जाने वाली सजा) श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (मध्य) लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) लखनऊ तथा सहायक पुलिस आयुक्त, कैण्ट के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक आशियाना के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया।

जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय स्पे0 पाक्सो एक्ट 3rd द्वारा दिनांक 07.07.2025 को वाद सं0–538/14 मु.अ.सं.- 0075/2014 धारा 323/325/804/354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना आशियाना लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया।

अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त- 1. इन्दू कुमार गिदार उर्फ इन्द्रजीत उर्फ परम पुत्र राजकुमार, निवासी-8/581, रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ । 2. इमरान पुत्र हनीफ कुरैशी,निवासी-7/302,रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ। 3. विक्रम कश्यप उर्फ विक्की पुत्र शिवकुमार, निवासी-8/147,रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ । 4. अनुज श्रीवास्तव उर्फ अंशू पुत्र ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव,निवासी-8/454,रजनीखण्ड शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ । 5. अंकित श्रीवास्तव पुत्र ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी-8/454,रजनीखण्ड शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगणो को **धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास** व 5,000/- रुपये का अर्थदंड व **धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास** व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड व **धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास** व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड व **धारा 504/- भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास** व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

02- अभियुक्तों का विवरण -

1. इन्दू कुमार गिदार उर्फ इन्द्रजीत उर्फ परम पुत्र राजकुमार, निवासी-8/581, रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ
2. इमरान पुत्र हनीफ कुरैशी,निवासी-7/302,रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ।
3. विक्रम कश्यप उर्फ विक्की पुत्र शिवकुमार, निवासी-8/147,रजनीखण्ड, शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ।
4. अनुज श्रीवास्तव उर्फ अंशू पुत्र ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव,निवासी-8/454,रजनीखण्ड शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ।
5. अंकित श्रीवास्तव पुत्र ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी-8/454,रजनीखण्ड शारदा नगर थाना आशियाना लखनऊ

03-संबन्धित अभियोग -

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना/जनपद
1.	0075/2014	धारा 323/325/804/354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट	थाना आशियाना, लखनऊ

फैसला-

अभियुक्तगणो को **धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष** कठोर कारावास व 5,000/- रुपये का अर्थदंड व **धारा 323 भादवि में 01 वर्ष** का कठोर कारावास व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड व **धारा 325 भादवि में 03 वर्ष** का कठोर कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड व **धारा 504/- भादवि में 01 वर्ष** का कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवीकर्ता-

1. प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
2. कां0 ज्योतपाल (पैरोकार) थाना आशियाना लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1614
दिनांक- 08.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना- अलीगंज

- **वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**
- **थाना अलीगंज पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.07.2025 को वादी मुकदमा कमल कुमार पुत्र महेश प्रसाद नि0 गाजीपुर बलरामपुर फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी मो0सा0 गल्लामण्डी से चोरी कर लिया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 303(2) बीएनएसएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में लेकर घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी, पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग करते हुए बन्धा रोड मोड़ के पास मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दी कि दो व्यक्ति पक्का पुल की तरफ से आ रहे है, जिनके पास चोरी की मो0सा0 है।

उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखविर बन्धा रोड स्थित गल्लामण्डी के पिछले गेट के पास पहुँचे कि मुखविर द्वारा दूर से इशारा करके बताया कि सामने से आ रहे मो0सा0 सवार दो व्यक्ति वही है जिसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है। उक्त दोनो व्यक्ति सामने पुलिस टीम को आता देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस टीम द्वारा सक्रियता दिखाते हुए दोनो व्यक्तियो को मौके पर ही घेरघार कर पकड़ लिया गया।

नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम – **आशु राजपूत** पुत्र रामसजीवन नि0 ग्राम सिसेन्डी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम **सुमित उर्फ सत्या** पुत्र किशन कुमार चौरसिया नि0 ग्राम सिसेन्डी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष बताया तथा पकडे गये दोनो व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो दोनो ने बताया बताया कि हम दोनो ने मिलकर जनपद लखनऊ के अन्य क्षेत्रो से दो और मो0सा0 चोरी करके अलीगंज क्षेत्र में छिपाया है, पुलिस टीम द्वारा दोनो व्यक्तियों के साथ चलकर उनके बताये हुए स्थान से 02 अदद मो0सा0 बरामद किया गया, पकड़े गये दोनो व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये जुर्म धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए बन्धा रोड के पास से दि0 08.07.25 को गिरफ्तार किया गया।

बरामद मो0सा0 सुपर स्प्लैण्डर संख्या यू0पी0 32 जी0एक्स0 7903 के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मो0सा0 संख्या सप्लैण्डर यू0पी0 32 एम0ए0 1882 के सम्बन्ध में थाना मडियांव में मु0अ0सं0 456/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया तथा दूसरी मो0सा0 स्प्लैण्डर प्लस संख्या यू0पी0 41 ए0एम0 0397 के सम्बन्ध मे थाना नाका हिन्डोला मे मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध आस पास के थाना क्षेत्रो मे पंजीकृत अभियोगो के बारे मे जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/व्यवसाय

1. आशु राजपूत पुत्र रामसजीवन नि0 ग्राम सिसेन्डी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष (आइसक्रीम का ठेला लगाता है)
2. सुमित उर्फ सत्या पुत्र किशन कुमार चौरसिया नि0 ग्राम सिसेन्डी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष (आइसक्रीम का ठेला लगाता है)

03-अनावरित अभियोग

1. मु0अ0सं0 144/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 456/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण

- मो0सा0 सुपर स्प्लैण्डर संख्या यू0पी0 32 जी0एक्स0 7903
- मो0सा0 स्प्लैण्डर यू0पी0 32 एम0ए0 1882
- मो0सा0 स्प्लैण्डर प्लस यू0पी0 41 ए0एम0 0397

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. श्री अशोक कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. म0उ0नि0 अनामिका सिंह चौहान थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 श्री मोहन सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
4. का0 विनोद कुमार सरोज थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
5. का0 सुशील कुमार थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
6. का0 सक्षम सोनकर थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
7. का0 अमन कुमार शुक्ला थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1617
दिनांक-08.07.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.06.25 को वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 19.06.25 को जब हम रोजाना की तरह सुबह 4:30 बजे उठे तो देखा कि मेरी बेटी उम्र 13 वर्ष घर पर नहीं थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब मेरी बेटी नहीं मिली, तो हम लोग उसके दोस्त देवकरन सिंह के घर गये। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर हम लोग वहीं थोड़ी दूर पर छुप कर देखते रहे। इस बीच देवकरन ने मेरी बेटी वहाँ से निकाल दिया। उसी घर से छत से कूदकर भागते समय देवकरन को भी काफी चोटें आई हैं। समय करीब 8:30 बजे मेरी बेटी घर आई। जानकारी करने पर बेटी ने अपनी माँ से बताया कि देवकरन ने मेरे साथ गंदी हरकत की है।

वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना के आधार पर मु0अ0सं0 214 /2025 धारा 65(1) बीएनएस व 3 / 4 पाक्सो एक्ट बनाम देवकरन सिंह निवासी- करनैलगंज गोण्डा हाल पता- सर्वोदयनगर पोस्ट आफिस के पास किराये का मकान के विरूद्ध पंजीकृत कर अभि0 देवकरन उपरोक्त की तलाश प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 127(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा 3/4 पाक्सो एक्ट से 5/6 पाक्सो एक्ट में तरमीम किया गया।

आज दिनांक 08.07.2025 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम वांछित अभि0 देवकरन सिंह पुत्र स्व0 रामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर कला थाना कौडिया गोण्डा हाल पता E -26 सर्वोदयनगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 22 वर्ष के सिविल अस्पताल के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभि0 ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन ही भागते हुए मैं छत से कूद गया था कूदते समय दोनो पैरो मे चोट आयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. देवकरन सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम उडीला पो0 नारायनपुर कलां थाना कौडिया गोण्डा हाल पता-सी 26 सर्वोदयनगर पोस्ट आफिस के पास थान गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 214 /2025 धारा 65(1)/ 127(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना गाजीपुर

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 श्री सफातउल्ला खाँ
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार
3. का0 ज्ञानेन्द्र कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1610
दिनांक 08.07.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- कृष्णानगर

- **परीक्षा केन्द्रो के बाहर वाहन खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों के वाहन से सामान चोरी करने वाले गैंग का का किया गया पर्दाफाश।**
- **वाहनों की डिग्गी में सामान रखने वाले परीक्षार्थियों को चिन्हित कर उनके वाहनों से करते थे चोरी।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन, आभूषण, आई0डी0 कार्ड, डेविट कार्ड, स्कूटी आदि सामान बरामद।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही:-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा परीक्षा केन्द्रों के बाहर वाहन खड़े करने वाले परिक्षार्थियों के वाहनो से उनके मोबाइल फोन, ज्वैलरी, कैश व अन्य सामान चोरी करने वाले गैंग के 03 शातिर अभियुक्तों **1. शैयद सैफ** पुत्र सैयद मो0 कमर निवासी **एलडीए कालोनी टिकैत राम तालाब एचआईजे नियर जयपुरिया न्यू कैम्पस थाना बाजार खाला** लखनऊ उम्र 25 वर्ष **2. मंयक सोनकर** पुत्र गोपाल सोनकर निवासी **133/83 राजा होटल वाली गली थाना अमीनाबाद लखनऊ** उम्र 25 वर्ष **3. रुपेश यादव** पुत्र उदय बीर सिंह निवासी **MMIG 629/2 एलडीए कालोनी राजाजी पुरम लखनऊ** उम्र 28 को आज दिनांक 08.07.2025 को **संगम विहार कॉलोनी अण्डरपास** से गिरफ्तार करते हुए थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 281/2025 धारा- 352/305(2) भारतीय न्याय संहिता एवं मु0अ0सं0- 323/2025 धारा 303(2)/318(4) भारतीय न्याय संहिता का अनावरण किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद मोबाइल , एक अदद चैन, दो अदद कान के टाप्स, एक अदद पैन कार्ड , एक अदद निर्वाचन कार्ड , दो अदद डेविड कार्ड, एक अदद स्कूटी UP32 HR5621 चोरी की व 730/- रुपये नगद बरामद किये गये।

02-घटना का विवरण:-

- दिनांक 11.06.2025 को **वादिनी मुकदमा प्रियंका शुक्ला पत्नी उज्जवल प्रकाश निवासिनी पैराडाईज क्रिस्टल अपार्टमेन्ट सुशांत गोल्फ सिटी अंसल लखनऊ** द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 09.06.2025 को समय 15.00 बजे परीक्षा सेन्टर कृष्णानगर पर खड़ी वादिनी मुकदमा की स्कूटी से ज्वैलरी व अन्य सामान को चोरी कर लिया गया व वादिनी मुकदमा द्वारा पूछने पर अपशब्दों/ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर **मु0अ0सं0-0281/2025 धारा 352/305(a) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ** पंजीकृत किया गया।

- दिनांक 07.07.2025 को वादी मुकदमा **मो0 वैश पुत्र इरशाद अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट औरंगाबाद तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी** की तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 04.07.2025 को समय 16.00 बजे से परीक्षा सेन्टर कृष्णानगर पर वादी मुकदमा का फोन OPPO F-27 व SBI BANK तथा BANK OF BARODA का ATM कार्ड चोरी कर लेने तथा सिम कार्ड व ATM कार्ड का दुरुपयोग कर वादी मुकदमा के खाते से लगभग 1,30,000/- रुपये निकाल लेने पर **मु0अ0सं0-323/2025 धारा 303(2)/318(4) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ** बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था।

- मुकदमा उपरोक्त के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु 04 टीमें गठित की गयी थी, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन एवं ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना कारित करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए घटना में संलिप्त 03 नफर अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी कर **आज दिनांक 08.07.2025 को संगम विहार कॉलोनी अण्डर पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

03-पूछताछ का विवरणः-

- अभियुक्त सैयद सैफ (गैंग लीडर) ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 09 जून एवं 04 जुलाई 2025 को पवन ऑनलाइन सॉल्यूशन परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने आये परीक्षार्थियों की मो0सा0/स्कूटी की डिग्गी से मोबाइल फोन व ज्वैलरी चोरी किये थे जिसमें से 01 मोबाइल फोन, 02 अंगूठी एवं पैर की विछिया को बेंच कर प्राप्त रुपयों को आपस में बराबर बांट लिया था।
- बरामद स्कूटी UP32HR5621 के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि कुछ दिन पूर्व फिनिक्स माल के पास चोरी की थी जिसका प्रयोग चोरी किये गये सामान को बेचने हेतु आने जाने में प्रयोग करते हैं।
- बरामद BOB व SBI डेविड कार्ड के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मैंने (सैयद सैफ) अपने मित्र मयंक सोनकर के RBL बैंक क्रेडिट कार्ड का पेमेन्ट किया और कुछ ऑनलाइन खरीददारी की थी। शेष बचे सामानों को बेंचने जाते समय पकडा जाना बताया गया।

04-माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्तगण परीक्षा सेन्टर पर आये परीक्षार्थियों को चिन्हित कर उनके वाहनों में रखे सामान को चोरी करना, तथा चोरी के डेविड कार्ड आदि की क्लोनिंग कर आनलाइन खरीददारी करना।

05-अनावरित अभियोग-

1. पंजीकृत मु0अ0सं0- 281/2025 धारा- 352/305(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कृष्णानगर
2. मु0अ0सं0- 323/2025 धारा- 303(2)/318(4) भारतीय न्याय संहिता थाना कृष्णानगर।

06-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. **सैयद सैफ** पुत्र सैयद मो0 कमर निवासी एलडीए कॉलोनी टिकैत राम तालाब एचआईजे नियर जयपुरिया न्यू कैम्पस थाना बाजार खाला लखनऊ उम्र 25 वर्ष।
   - **शिक्षा-**ग्रेजुएशन।
   - **व्यवसाय-**जोमैटो डिलवरी ब्यॉय-2023-24 वर्तमान में कुछ नहीं।
2. **मंयक सोनकर** पुत्र गोपाल सोनकर निवासी 133/83 राजा होटल वाली गली थाना अमीनाबाद लखनऊ उम्र 25 वर्ष।
   - **शिक्षा-**12th
   - **व्यवसाय-**मोबाइल रिपेयरिंग (सांई मो0 शॉप नाका), वर्ष 2023 में जोमैटो में डिलवरी ब्यॉय।
3. **रुपेश यादव** पुत्र उदय बीर सिंह निवासी MMIG 629/2 एलडीए कालोनी राजाजी पुरम लखनऊ उम्र 28 वर्ष
   - **शिक्षा-** ग्रेजुएशन।
   - **व्यवसाय-**डेन्टल कार्ट में (चैट सपोर्ट एक्सिवकेटिव, वर्क फॉर होम)।

07-बरामदगी विवरण-

- 01 अदद OPPO PHONE (सम्बन्धित मु0अ0सं0-323/2025)
- 02 अदद अन्य मोबाइल फोन
- 01 अदद चैन, 01 जोड़ी टप्स (सम्बन्धित मु0अ0सं0-281/2025)
- घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी-UP32HR5621 (चोरी की)
- 04 अदद आईडी कार्ड (पैन कार्ड/निर्वाचन कार्ड/डेविड कार्ड) बरामद।

08-आपराधिक इतिहास:-(बनाम सैयद सैफ)

1. मु0अ0सं0-157/2019 धारा-379/411 भादवि थाना थाना नाका हिन्डोला लखनऊ।
2. मु0अ0स0-189/2019 धारा-379/411 भादवि थाना नाका हिन्डोला लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-221/2019 धारा 41/411/413/420 भादवि थाना जैदपुर बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0-373/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 थाना जैदपुर बाराबंकी।
5. मु0अ0सं0-405/2020 धारा-379/411 भादवि थाना फूलपुर प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0-411/2020 धारा-406/420 भादवि थाना फूलपुर प्रयागराज।
7. मु0अ0सं0-33/2021 धारा-406/420 भादवि थाना फूलपुर प्रयागराज।
8. मु0अ0सं0- 288/2024 धारा- 379/419/420/467/468/471भादवि एवं 66 d आई टी एक्ट थाना पारा
9. पंजीकृत मु0अ0सं0- 281/2025 धारा- 352/305(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कृष्णानगर
10. मु0अ0सं0- 323/2025 धारा- 303(2)/318(4) भारतीय न्याय संहिता थाना कृष्णानगर।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम कमि0 लखनऊ।

नोट:-श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम उत्साहवर्धन हेतु 15 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1616
दिनांक-08.07.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- **मोबाइल चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना नाका हिण्डोला पर वादी सचिन राजपूत पुत्र ओम प्रकाश राजपूत निवासी 136/94/1 दुर्विजयगंज झण्डे वाला चौराहा थाना नाका हिण्डोला लखनऊ की तहरीरी सूचना दी जिसमें दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर से दो मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध दिया गया गया, उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 07.07.2025 को मु.अ.सं. 125/2025 धारा 305/331 बी.एन.एस. बनाम दो अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था।

साक्ष्य संकलन व माल-मुलजिमान की पतारसी सुरागरसी के क्रम में थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर राधिका धर्मशाला तिराहे के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी हुये 02 अदद मोबाइल बरामद करते हुये अभियुक्तगण 1- हेमन्त सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर निवासी 163/255/1 चिकमन्डी मौलवीगंज थाना अमीनाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ,विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी पुल कुम्हारन वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 08.07.2025 गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएसएस की बढोत्तरी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01- हेमन्त सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर निवासी163/255/1 चिकमन्डी मौलवीगंज थाना अमीनाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ,

02-विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी पुल कुम्हारन वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

01-मु.अ.सं. 125/2025 धारा 305/331/317(2) बी.एन.एस. थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

04- बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल CMF BY NOTHING PHONE 1(LIGHT GREEN) कंपनी, आईएमइआई नं. 356855259338124
- 01 अदद मोबाइल REDMI 10A (SLATE GREY) आईएमइआई नं. 863175060146822

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
2- उ0नि0 राजेन्द्र सिंह नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
3- उ0नि0 राकेश पटेल थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
4- उ0नि0 राहुल चौधरी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
5- उ0नि0 अमजद अली थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1613

दिनांकः-08-07-2025

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा वादी के भाई का अपहरण करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना रहीमाबाद पर दिनांक 28.05.2025 को वादी मुकदमा श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 परशुराम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त द्वारा वादी के भाई सुरेन्द्र यादव को घर से बलपूर्वक बोलेरो वाहन सं0 UP32NS 0753 में बैठाकर हत्या करने की धमकी तथा छोडने के लिए मेरे भाई के मित्र नेकपाल से पैसे की मांग के सम्बन्ध में दाखिल किया।

दाखिला तहरीर के आधार पर थाना रहीमाबाद लखनऊ पर **मु0अ0सं0 84/2025 धारा 140(1)/351(3) बीएनएस** बनाम 01.राकेश यादव पुत्र रामगोपाल 02.रामगोपाल पुत्र दीना, 03.वीरपाल पुत्र रामशंकर, 04.बलराम पुत्र सुरेश सर्वनिवासीगण ग्राम रामपुर बांझी थाना माल लखनऊ, 05.उमेश यादव पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम किरला थाना अतरौली जनपद हरदोई के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसमें नामजद अभियुक्त उमेश यादव उपरोक्त की गिरफ्तारी दिनांक 30.05.2025 को किया जा चुका है जो जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। जिसके क्रम में मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी के क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम पेडिंग विवेचना जाँच आदि में रहीमाबाद चौराहे पर मामूर थे कि तभी मुखबिर खास आया और बताया कि साहब आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त बलराम पुत्र सुरेश निवासी ग्राम रामपुर बांझी थाना माल लखनऊ को रहीमाबाद से गहदो रोड के सम्पर्क मार्ग कैथुलिया रोड़ से होकर कही भागने की फिराक में है।

मुखबिर ख़ास की इस सूचना पर विश्वास कर रहीमाबाद चौराहे से कैथुलिया मोड़ पर पहुंचे तो हम पुलिस वाले जैसे ही उक्त व्यक्ति की तरफ छिपते छिपाते सिखलाये हुये तरीके से अभियुक्त की तरफ बढ़े तो उक्त व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर सकपका गया और भागने का प्रयास किया कि मौके पर पकड़ लिया गया।

जिसका नाम पता पूछने पर अपना **नाम बलराम पुत्र सुरेश निवासी ग्राम रामपुर बांझी थाना माल जनपद लखनऊ व उम्र 22 वर्ष** बताया।

बलराम से सुनसान सड़क पर जाने का कारण पूछा गया तो बताया कि दिनांक 29.05.2025 को मेरे भतीजे राकेश यादव के रिश्तेदार संतोष पुत्र स्व0 कैलाश निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ने मेरे व राकेश यादव, रामगोपाल, वीरपाल, उमेश के ऊपर थाना रहीमाबाद पर मुकदमा लिखवाया है।

उसी डर से मैं लखनऊ जा रहा था कि तब तक आप लोगो ने पकड़ लिया। पकड़े गये अभियुक्त बलराम उपरोक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म धारा 140(1)/351(3) बीएनएस से अवगत कराते हिरासत पुलिस लिया गया।

दौराने गिरफ़्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवधिकार आयोग के आदेशों निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा वादी के भाई का अपहरण करने व अपहरण कर पैसे की मांगना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बलराम पुत्र सुरेश निवासी ग्राम रामपुर बांझी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष।

04-आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 84/2025 धारा 140(1)/351(3) बीएनएस थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 10/2024 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 व 3(2)(v) SC/ST Act थाना माल लखनऊ

05-बरामदगीः-

➢ जामा तलाशी से कुल 320/- रूपये।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 सुधांशु मलिक थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
5. का0 देशराज थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
6. का0 अंकित सैनी थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
7. का0 पवन कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1612
दिनांक- 08.07.2025

जोन-उत्तरी/ थाना –रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।**

1.संक्षिप्त विवरणः-

थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद जनपद लखनऊ के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियान के अन्तर्गत वारण्टी **01.राजेश राठौर पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष** वारण्टी उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी व उक्त गिरफ्तारी **वारण्ट वाद संख्या 223/2022 अपराध संख्या 323/2020 धारा 135 विद्युत अधिनियम से अवगत कराते हुए बाजाफ्ता बाकायदा हिरासत पुलिस में लिया।**

गिरफ्तारी की सूचना उ0नि0 द्वारा वारण्टी के परिजनों को मौके पर दी गयी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया व हमराहियान से पालन करवाया गया। दौराने कार्य सरकार कुशलता रही।

वारण्टी उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. राजेश राठौर पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष(व्यवसाय-ढाबे पर काम)।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 आशीष कुमार शुक्ला थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

2.आरक्षी सुरेश कुमार गौतम थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 1618
दिनांक- 08.07.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **वादिनी के जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने व वीडियो वायरल की धमकी देना व मारपीट करने का आरोपी 01 वांछित अभियुक्त को गिया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.07.2025 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षी द्वारा कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर वादिनी के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के नाम पर पैसे लेना तथा विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज करना एवं जान से मार देने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 608/25 धारा 64/123/308/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनाँक 08.07.2025 को विवेचक द्वारा अभियुक्त मो0फरहाज उर्फ मो0 फराज पुत्र मो0 इशितयाक निवासी रामनगर पहाड़गंज घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या उम्र करीब 27 वर्ष का थाना हाजा बुलाया गया तत्पश्चात अभियुक्त मो0 फरहाज उपरोक्त अपने भाई मो0तबरेज व अपनी माँ परवीन बानो के साथ स्वयं उपस्थित थाना आये, मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये विवेचक द्वारा अभियुक्त मो0 फरहाज को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये दिनांक 08.07.2025 को पुलिस हिरासत मे लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. मो0फरहाज उर्फ मो0 फराज पुत्र मो0 इशितयाक निवासी रामनगर पहाड़गंज घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या उम्र करीब 27 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 608/25 धारा 64/123/308/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0फरहाज उर्फ मो0 फराज पुत्र मो0 इशितयाक निवासी रामनगर पहाड़गंज घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या उम्र करीब 27 वर्ष **व्यवसाय-** लूलू मॉल मे कैश सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है।

05-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 608/25 धारा 64/123/308/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।